

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजस्व, भादरा
(पीठसीन अधिकारी प्रशासन गांव के संग/कैम्प कोर्ट)
पीठसीन अधिकारी :- शकुंतला चौधरी आर0ए0एस0

उनवान

..... हनुमान पुत्र गरीबगम जाति जाट	बनाम	1. गरीबगम पुत्र राम मण्ड
..... निवासी श्वनवागा नं० भादरा		2. शरीर पुत्र गरीबगम
दावा बाबत :-		3. मीमा पुत्री गरीबगम
88RTA4		4. सुमित्रा पुत्री गरीबगम
मुकदमा नम्बर :-		5. थापा पुत्री गरीबगम
48/21		6. उमेश पुत्र गरीबगम
निर्णय दिनांक :-		7. मन्जु पुत्री गरीबगम
10.11.21		8. OBC शाखा नहरना
		9. राजधानी प्रकर
		परिवे TDR
		भादरा

वादी की ओर से वकील..... श्रीराम गोस्वामी की व प्रतिवादीगण की ओर से

वकील..... श्रीराम प्रसाद प्रहारा की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 10.11.2021 को


मुझ शकुन्तला चौधरी उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि

राही मौजा 5 डीपीएन के खाली नं० 05/10 के मुठनं 52 के क्लान नं० 11 ता 25, मुठनं 60 क्लान नं० 1 ता 15, 18, 19 कुल 8.096 ई० व चक्र 2 खानी के खाली नं० 7/5 के मुठनं 32 के क्लान नं० 14, 15, 17 मुठनं 40 के क्लान नं० 2 ता 9, 12 ता 18, 25 मुठनं 41 क्लान नं० 1, 2, 8 ता 13, 18 ता 23, कुल 7.742 ई० सभी प्रकार चक्र 4 डीपीएन के खाली नं० 10/10 के मुठनं 42 क्लान नं० 1 ता 3, 8 ता 13, 13 ता 22 की कुल 3.795 ई० में परिवारी मण० के नाम 1/2 क्लान खाली नं० दर्ज है में तन्हा परिवारी मण० की जगह वादी तथा परिवारी मण० 1 व 2 को बहिष्कार कराकर के खाली नं० धारित किए जाते हैं जुंति परिवारी मण० 3 ता 7 ने अपना एक क्लान वादी तथा परिवारी मण० 1-2 के पक्ष में लागू कर चुकने का सिपा है

अतः निम्नांकित पंजीपत्र शुल्क अदा कर व भूमि रदन मुह्य होने के बाद उपरोक्ता प्रकार राजस्व रिजिस्ट्र में अर्जत कर रिजिस्ट्र उक्त करें।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 10.11.21 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।


 शकुंतला चौधरी (RAS)
 उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
 भादरा जिला हनुमानगढ़